कंपनी	30.6.94	कंपनी	30.6.95	कंपनी	31.3.96
आई.डी.बी.आइ.	906,97	एच.पी.सी.एल.	1,083.50	ग्रासिम	1,073,75
आई.एफ.सी.आई.	662.97	आई.डी.बी.आई.	789.98	आई.डी.बी.आई.	765,32
टेल्को	655.07	टेल्को	719.55	टाटा कैम	692.22
		टाटा कैम	679.41	टैल्को	659.43

Proposal to allow foreign airline operators to enter the domestic market

*199. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether foreign airlines have shown interest in entering domestic market;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the existing private airlines operating in the country are having collaboration with some foreign airlines;

(d) whether such a step is indirectly entering into the domestic market; and

(e) if so, the reaction of Government on the functioning of private airlines?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) and (b) As per Article 7 of Chicago Convention member States are prevented from seeking and granting any exclusive right to another State or its airline for taking on its territory, traffic destined for another point in its territory.

(c) M/s Jet Airways (India) Ltd. is the only scheduled private airline with 20% equity by M/s Gulf Air and 20% by M/s Kuwait Airways.

(d) and (e) As per the guidelines, foreign equity participation is permitted in the Air Transport Services, upto a ceiling of 40% on a case by case basis.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क / सीमा शुल्क का अपवंचन करने के लिए कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही / न्यायिक कार्यवाही

*200. श्री ईश दत्त यादव:
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध सौ करोड़ रुपए से अधिक के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और / अथवा सीमा शुल्क का अपवंचन करने के कारण विभागीय कार्यवाही की जा रही है और अथवा / न्यायिक कार्यवाही की जा रही है;

(ख) किन-किन कम्पनियों के विरुद्ध सी०ई०जी०ए०टी०, उच्च न्यायालयों अथवा उच्चतम न्यायालय के समक्ष पांच वर्ष से अधिक समय से ऐसे मामले लम्बित हैं; और

(ग) सरकार उक्त धनराशि की शीघ्र वसूली के लिए क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री: (श्री पी० चिदम्बरम): (क) से (ग) जिन कंपनियों के विरुद्ध सौ करोड़ रु० से अधिक के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और / या सीमा शुल्क अपवंचन किए जाने के आरोप के आधार पर कार्यवाही आरंभ की गई है, उनके नाम इस प्रकार हैं:—

(1) मैसर्स आई०टी०सी० लि०

(2) मैसर्स जी०टी०सी० लि०

(3) मैसर्स नेशनल तम्बाकू कंपनी / डंकन एग्रो इंडस्ट्रीज लि०

(4) मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लि०

(5) मैसर्स मेहता ट्रेडिंग हाऊस प्रा० लि०

(6) मैसर्स इंडियन चार्ज क्रोम लि०

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण (सीगेट), उच्च न्यायालयों अथवा उच्चतम न्यायालय के समक्ष पांच वर्षों से अधिक अवधि से कोई भी मामला लम्बित नहीं पड़ा है।

अधिकरण और न्यायालयों के समक्ष न्यायनिर्णयन और अपील के स्तर पर पड़े मामलों को शीघ्रता से अंतिम रूप दिए जाने के संबंध में विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। इन में विशेष रूप से कुछेक ऐसे मामलों का निपटान करने के लिए जोकि जटिल स्वरूप के हैं, सामान्य न्याय-निर्णायक की नियुक्ति करना, विभाग का प्रतिनिधित्व करने हेतु वरिष्ठ वकील की नियुक्ति करना और शुल्क की विलम्बित राशि पर ब्याज प्राप्त करने के लिए व्यवस्था करने हेतु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन करना शामिल है।

Balance of payments position

879. DR. SHRIKANT RAM-CHANDRA JICHKAR:
SMT. BASANTI SARMA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the Balance of Payments (BOP) position as on 1st July, 1996;

(b) the position of remittances from abroad;

(c) the estimates for the current year; and

(d) what impact will the policies of Government have on the BOP?

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) The overall balance of payments position during the first quarter of the current financial year ending June, 1996 shows an increase in foreign currency reserves of US $ 482 million.

(b) and (c) The net inflow of private transfers, which includes remittances from abroad, is provisionally estimated to be about US $ 6150 million in 1995-96. Inflow of private transfers is expected to remain buoyant in the current financial year.

(d) The policies of the new Government are oriented towards achieving the objective of a viable balance of payments based on strong competitiveness and by attracting non-debt creating foreign investment flows, especially in the infrastructure sector such as power, telecommunication, roads and ports.

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा औद्योगिक कंपनियों को प्रदान की गई सहायता

880. **श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा देश का बड़ी और संयुक्त औद्योगिक कंपनियों को सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कंपनी-वार प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी कंपनियों की विभिन्न नयी परियोजनाओं हेतु राशि का असमान वितरण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा इस संबंध में क्या-क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) जी, हां।

(ख) 31.3.1994, 31.3.1995 और 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) द्वारा 10 शीर्ष औद्योगिक समूहों को